## प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय "लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

## परिपत्र सं. 05

सं.प्रनिलेप(के)/प्रशा./युनिट-।/11-04/2021-22/21

दि.30.05.2021

विषय- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय -के संबंध में।

कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु निवारक उपायों के भाग के रूप में, तिमलनाडु सरकार ने इसके जीओ (एम्स) संख्या 391 दिनांक 29.05.2021 के तहत संपूर्ण लॉकडाउन को एक अन्य सप्ताह हेतु अर्थात 31.05.2021 के सुबह 6.00 बजे से 07.06.2021 के सुबह 6.00 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है। तिमलनाडु सरकार की उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए एवं स्थानीय सरकार के निर्देशों का पालन करने की कार्यालयों को सलाह देने वाले मुख्यालय के दिनांक 06/05/2021 के पत्र को भी ध्यान में रखते हुए तथा स्टाफ में कोविड-19 के प्रसार के निवारण हेतु समुचित कदम उठाने के लिए, दिनांक 23.05.2021 के परिपत्र संख्या 4 के अनुक्रम में, निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है:

- 1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) का कार्यालय, चेन्नै ,शाखा कार्यालय मदुरै सिहत 31.05.2021 से 06.06.2021 तक बंद रहेंगे एवं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उस तिथि तक घर से कार्य करेंगे।
- 2. अधिकारी /कर्मचारी जो घर से कार्य कर रहे हैं,उन्हें सदा(सभी समय पर) संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा। उन्हें किसी भी परिस्थितियों में अपनी छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी से आवश्यक छुट्टी/अनुमित लिए बिना स्टेशन नहीं छोड़ना चाहिए।
- 3. यदि आवश्यकता हो तो, अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें "आवश्यक सेवा" देने की आवश्यकता है उनके संबंध में आदेश उचित समय पर अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।
- 4. वे कोविड -19 प्रबंधन के संबंध में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- ये आदेश 06.06.2021/अगले आदेश तक लागू रहेंगे ।
  (प्रनिलेप(के) के दिनांक 30-05-2021 के आदेशानुसार)

हस्ता/-उपनिदेशक/प्रशासन

प्रति अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार